

डिक्री बमुकदमें ईत्तादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-08/2019

1. रमनदीप } पि0 चन्द्रभान जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डबलीकंला तहसील
2. अनिल } टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादीगण

बनाम्

1. चन्द्रभान पुत्र सोहनलाल } जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डबलीकंला तहसील
2. कान्ता पत्नी चन्द्रभान } टिब्बी जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रायसिंह भाकर वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री संदीप कस्वां प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं0 5 एनडीआर सी के खाता सं0 68/65 के प0न0 182/346 मु0 31 किलानं0 5/.253, प0न0 183/346 मु0 30 किलानं0 1,2,9,10,11,12/1.518, 19 ता 23/1.265, 24/.102 कुल 3.138 है0 व चकनं0 8 एमजैड डबल्यू के खाता सं0 146/127 में प0न0 178/368 मु0 21 किलानं0 12,13/.506, 14/.185, 20/.140, 21/2/.202, 22 ता 25/1.012 है0 कल 2.045 है0 आराजी के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 5 एनडीआर सी के खाता सं0 68/65 व चकनं0 8 एमजैड डबल्यू के खाता सं0 146/127 में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...08.08.2019.....को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी